

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

¹[**Rule 10B : Aadhaar authentication for registered person**

The registered person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has been issued a certificate of registration under rule 10 shall, undergo authentication of the Aadhaar number of the proprietor, in the case of proprietorship firm, or of any partner, in the case of a partnership firm, or of the karta, in the case of a Hindu undivided family, or of the Managing Director or any whole time Director, in the case of a company, or of any of the Members of the Managing Committee of an Association of persons or body of individuals or a Society, or of the Trustee in the Board of Trustees, in the case of a Trust and of the authorized signatory, in order to be eligible for the purposes as specified in column (2) of the Table below:

TABLE

S.No.	Purpose
(1)	(2)
1.	For filing of application for revocation of cancellation of registration in FORM GST REG-21 under Rule 23
2.	For filing of refund application in FORM RFD-01 under rule 89
3.	For refund under rule 96 of the integrated tax paid on goods exported out of India

Provided that if Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo authentication of the Aadhaar number, such person shall furnish the following identification documents, namely: –

- (a) her/his Aadhaar Enrolment ID slip; and
- (b) (i) Bank passbook with photograph; or
- (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or
- (iii) Passport; or
- (iv) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988):

Provided further that such person shall undergo the authentication of Aadhaar number within a period of thirty days of the allotment of the Aadhaar number.]

¹ Rule 10B inserted by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021. It is made effective from 01-01-2022 by Noti. No. 38/2021–Central Tax, dt. 21-12-2021.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

1]नियम 10ख : रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए आधार अधिप्रमाणन

धारा 25की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे नियम 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, स्वत्वधारी फर्म की दशा में स्वत्वधारी या भागीदारी फर्म की दशा में भागीदार या हिन्दु अविभक्त कुटुंब की दशा में कर्ता या कंपनी की दशा में उसका प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या किसी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों में से कोई भी सदस्य या न्यास की दशा में न्यासी बोर्ड का कोई न्यासी, और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए पात्र होने के क्रम में, आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएंगे:

सारणी

क्र.सं.	उद्देश्य
(1)	(2)
1.	नियम 23 के अधीन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में आवेदन फाइल करने के लिए
2.	नियम 89 के अधीन प्ररूप आरएफडी-01 में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के लिए
3.	नियम 96 के अधीन भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए

परन्तु यदि उस व्यक्ति को जिससे आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराना अपेक्षित है, आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-

(क) अपनी आधार नामांकन आईडी पर्ची; और

(ख) (i) फोटोग्राफ के साथ बैंक पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञप्ति;

परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति आधार संख्या के आबंटन से तीस दिन के भीतर आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएगा]

1 अधिसूचना क्रमांक 35/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा नियम 10ख अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 38/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।